

## जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समाज पर अवलोकन कुलपति विदेशी  
विश्वविद्यालय के समूह में निम्न लिखे र  
के फैली उन्हें प्राप्तिकर्ता के बाबा हैं।  
उन्हें प्राप्तिकर्ता के भव वर्ष में वह  
व्यवहार द्वारा में जो एक व्यक्ति एवं विदेशी  
भव व्यवहार द्वारा जो विदेशी भव विदेशी है।



फैली : गृहीतिकर्ता  
दृष्टिकोण : (0751) 2241886  
(0751) 2242972  
फैली : (0751) 2241768

प्रेषक :  
कुलपति,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
व्यालियर  
क्रमांक/सम्बन्ध/उम्मेदवाला/2012/6060

विनांक: 13/02/13

### // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध गांगन कॉलेज ऑफ बर्किंग लाइंसेस, ग्वालियर (0751-3202428) को  
तथा 2012-13 के लिए प्रस्तावित व्यावहारित श्री.एस.-सी. (लिंसेन), गाँगन कॉलेज/पालवाला विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने  
ठेठ अनुशंसार्पण प्रदान करने के लिए भावनीय कुलपति भवान व्यवहारी की अधिकृति विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने  
विश्वविद्यालय अधिकारियता 1973 के पाठ्यनियम 27(1)(c) के अनुरूप विद्यार्थी भवान व्यवहारी का गवान किया है :

(1) प्रो. जे.एन. गोप्तम, कुलपति विदेशी, जी.वी.वी.वी. व्यालियर। (संयोजक)

(0751-2442603)

(2) डॉ. सुमा शर्मा, प्राचार्या, श्री.आर्ह.एम.आर. कॉलेज ऑफ बर्किंग, ग्वालियर।

(3) डॉ. पी.के. शर्मा, प्रबन्धित अध्यायनशाला, जी.वी.वी.वी.वी. व्यालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोप है कि वे पाठ्यनियम 27/28 के प्राचार्यार्पण के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष  
निरीक्षण कर सुलभ घटेंगे अर्थात् विधित शैक्षणिक अनुसारी

के दौरान, प्रायिकृत संस्था दो पापन अनुगति/अनुगमित प्रगाढ़-पत्र, भवत, कीवा पत्रिका एवं यात्र्यक्षण आदिका तथा  
पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति एवं प्रगाढ़ पत्र की तथा वाचार्य-शैक्षणिक एवं अधीकारिक स्टॉर्क विद्युक्तियों का  
प्रज्ञाण एवं योग्यता आदि ये जारी में स्पष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुरूप अनुसार अधिकारी करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 वित्तवर्ष 2012 के पाठ्यनियम 60 (अ-अ-2) पर लिये जाने विद्यार्थी भवान स्थायी भवान  
विद्यार्थी भवान स्थायी भवान 30 दिन, में महाविद्यालय का विद्यार्थी भवान कालाविद्या में विद्यार्थी  
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय विद्यार्थी की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं  
महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली अध्यायी अनुबन्ध भवान व्यवहार एवं व्यवहार सम्बन्धता  
संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो जाकेंगी तथा भासज के जिर्णशों का पालन नियमित किया जा सकेंगा।

गवान के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की विद्यार्थी में वह माना जाएगा कि महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं हुआ  
है। विद्यार्थी भवान अवधारणा जगा करकर बवीक रामिति गवान की जावेगी। जिसे 15 दिवस जे विद्यार्थी भवान रिपोर्ट प्रस्तुत करना  
अविवार्य होगा। परिविकास 27(1)(c) के अनुसार अनुबन्ध द्वारा प्राप्त विद्यार्थी भवान देना अवैधिक है।

विद्यार्थी समिति के द्वारा अनुबन्ध द्वारा दी गई कार्यवाही अधीकारिक / कार्यवाही सहायक व्यवहारक व्यवहारी लेनक जावेंगे तथा  
गवान विद्यार्थी भवान की उन्नतिकी से विद्यार्थी समिति को अनुमति देनावेंगे। विद्यार्थी समिति के सदस्यों को दीए /  
मानदेव महाविद्यालय द्वारा देव होना।

#### प्रतिलिपि :-

1. सम्बल द्वारा दी गई कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यवाही ठेठ।
2. प्राचार्य/अध्यादा, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आँख है कि समिति वे संयोजका से संपर्क स्थापित कर  
विद्यार्थी दिनांक विधार्थीरत कर महाविद्यालय का विद्यार्थी करावे। उक्त विद्यार्थी 15 दिवस के अन्दर करने की  
व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च विद्या, उत्तम पुस्तक भवन, भोपाल
4. कुलपति के संवित्र / कुलपति को जिसी भवानक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलपति (सम्बन्धी)